

**राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014**  
(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधयेक।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**अध्याय 1**

**प्रारम्भिक**

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

**अध्याय 2**

**राजस्थान अभिधृति अधिनियम में संशोधन**

2. **1955 के राजस्थान अधिनियम सं. 3 की धारा 45 का संशोधन.-** राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) की धारा 45 की उप-धारा (1) में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क की उप-धारा (5क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित प्रयोजनों के लिए, खुदकाशत का धारक या भू-स्वामी पट्टे पर या खातेदार अभिधारी उप-पट्टे पर अपनी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग को तीस वर्ष तक की अवधि के लिए दे सकेगा और ऐसे पट्टे या उप-पट्टे को दस वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।"

### अध्याय 3

#### राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में संशोधन

**3. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 90-क का संशोधन.-** राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क में, विद्यमान उप-धारा (5) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (6) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा अन्तःस्थापित की जायेगी अर्थात्:-

"(5क) इस धारा में अन्तर्विष्ट अन्य किसी उपबन्ध के होते हुए भी, कृषि भूमि का उपयोग, ऐसे गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें, अनुज्ञा के बिना, किया जा सकेगा।"

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत में राजस्थान राज्य कम औसत वर्षा के साथ अधिकतम तीव्र सौर प्रकाश प्राप्त करता है। यहां कम कीमत की अनुपयोजित मरु भूमि भी बहुतायत में है। इसलिए, देश में राजस्थान का, सौर और वायु शक्ति के वैश्विक केन्द्र के रूप में उभरना संभाव्य है।

वर्तमान में, राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 45 में विद्यमान उपबंधों के अधीन खुदकाशत का धारक या भू-स्वामी अपनी सम्पूर्ण जोत को या उसके किसी भाग को पट्टे पर या कोई खातेदार अभिधारी उप-पट्टे पर पांच वर्ष से अनधिक के लिए दे सकता है। उनकी जोत पट्टे पर ऊर्जा उत्पादकों को दिया जाना अनुज्ञात करने के लिए, राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 45 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार, खुदकाशत के धारक या भू-स्वामी को पट्टे पर या खातेदार अभिधारी को उप-पट्टे पर अपनी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग को तीस वर्ष तक की अवधि के लिए जो दस वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ायी जा सकेगी, देने के लिए समर्थ बनाने के लिए राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 45 की उप-धारा (1) के विद्यमान परन्तुक के पश्चात् एक नया परन्तुक जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क राज्य सरकार की लिखित अनुज्ञा के सिवाय, कृषि भूमि के गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग को, निर्बंधित करती है। राज्य सरकार को, ऐसे प्रयोजन जिनके लिए कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए अनुज्ञा के

बिना उपयोग किया जा सकेगा, विहित किये जाने के लिए समर्थ बनाया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क में, एक नयी उप-धारा (5क) अन्तःस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

वसुंधरा राजे,  
प्रभारी मंत्री।

**प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन**

विधेयक का खण्ड 3, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को उन गैर-कृषिक प्रयोजनों को विहित करने के लिए सशक्त करेगा, जिन प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का उपयोग अनुज्ञा के बिना किया जा सकेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

वसुंधरा राजे,  
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का  
अधिनियम सं. 3) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX

45. पट्टे या उप-पट्टे पर देने पर निर्बन्धन.- (1)

खुदकाशत का धारक या भू-स्वामी पट्टे पर तथा खातेदार अभिधारी या उसका बन्धकदार उप-पट्टे पर अपनी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग को एक बार में पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं देगा:

परन्तु ऐसे कृषि-प्रसंस्करण और कृषि-कारबार उद्यम, जो राज्य सरकार या इसके द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा विहित रीति में अनुमोदित किये जायें, से संबंधित कृषि संक्रियाओं के प्रयोजन के लिए, या प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा या विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले इसी प्रकार के किसी भी अन्य पौधे के रोपण के प्रयोजन के लिए खुदकाशत का धारक या भू-स्वामी पट्टे पर या खातेदार अभिधारी उप-पट्टे पर, अपनी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग को पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए दे सकेगा और ऐसे पट्टे या उप-पट्टे को पन्द्रह वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

(2) यदि उप-धारा (1) के अधीन कोई पट्टा या उप-पट्टा किसी भी अवधि के लिए एक बार प्रदत्त कर दिया गया है या बढ़ा दिया गया है तो उसी भूमि के लिए कोई अगला पट्टा

या उप-पट्टा, जैसी भी स्थिति हो, प्रथम वर्णित पट्टे या उप-पट्टे की समाप्ति से दो वर्षों के भीतर प्रदत्त नहीं किया जायेगा।

(3) गैर खातेदार-अभिधारी अपनी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उप-पट्टे पर नहीं देगा।

(4) उप-अभिधारी या खुदकाशत का अभिधारी धारा 46 में वर्णित परिस्थितियों से अन्यथा अपनी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग को उप-पट्टे पर नहीं देगा।

**XX XX XX XX XX XX**

**राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) से लिये गये उद्धरण**

**90-क. कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग.-** (1) कृषि प्रयोजनों के लिए किसी भूमि को धारण करने वाला कोई व्यक्ति तथा ऐसी भूमि या उसके किसी भाग का कोई अन्तरिती, इसके पश्चात् इसमें अधिकथित रीति से प्राप्त राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना तथा ऐसी अनुज्ञा के निबंधनों और शर्तों के अनुसार से अन्यथा उस भूमि या उसके किसी भाग पर भवन का निर्माण करवा कर या किसी अन्य प्रयोजन के लिए अन्यथा उपयोग नहीं करेगा।

(2) कृषि से भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि या उसके किसी भाग का उपयोग करने का इच्छुक कोई

भी व्यक्ति, विहित रीति से तथा विहित अधिकारी अथवा प्राधिकारी को अपेक्षित अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा और ऐसे प्रत्येक आवेदन-पत्र में विहित विशिष्टियां होंगी।

(3) राज्य सरकार, विहित रीति से सम्यक् जांच करने या कराने के पश्चात् या तो आवेदित अनुज्ञा देने से इन्कार कर देगी अथवा विहित निबंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, अनुज्ञा दे देगी।

(4) जब ऐसी किसी भूमि या उसके भाग को कृषि से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाने की अनुज्ञा दे दी जाती है तो वह व्यक्ति, जिसे अनुज्ञा दी जाती है, उसके बारे में राज्य सरकार को निम्नलिखित संदाय करने का दायी होगा :-

- (क) राज्य सरकार द्वारा, इस संबंध में बनाये जाने वाले नियमों में अधिकथित दर तथा रीति से उदगृहीत कोई नगरीय निर्धारण की राशि;
- (ख) प्रीमियम के रूप में ऐसी राशि, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय; या
- (ग) दोनों।

(5) यदि ऐसी कोई भूमि-

- (क) राज्य सरकार की लिखित अनुज्ञा पहले प्राप्त किये बिना, या
- (ख) ऐसी अनुज्ञा के निबंधनों और शर्तों के अनुसार से अन्यथा, या

(ग) उप-धारा (3) के अधीन ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार कर दिये जाने के पश्चात्, या

(घ) उप-धारा (4) में निर्देशित संदायों में से कोई भी संदाय किये बिना,

इस प्रकार से उपयोग में ली जाती है, तो उस भूमि को यथापूर्वोक्त कृषि-प्रयोजनार्थ मूलतः धारण करने वाले व्यक्ति, और उसके समस्त पाश्चिक अन्तरिती भी, यदि कोई हों, यथास्थिति, अतिचारी समझा जायगा या समझे जायेंगे और धारा 91 के अनुसार ऐसी भूमि से बेदखल किये जाने के दायित्वाधीन होगा या होंगे मानो उसने या उन्होंने विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि को अपने अधिभोग में लिया हो या अधिभोग में बनाये रखा हो और ऐसी प्रत्येक कार्यवाही पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 3) की धारा 212 के उपबंध लागू होंगे मानों ऐसी भूमि को बरबाद किये जाने, नुकसान पहुंचाये जाने या संक्रान्त किये जाने का खतरा था:

परन्तु राज्य सरकार, ऐसे व्यक्ति और पाश्चिक अन्तरितियों को, प्रश्नगत भूमि से

इस प्रकार बेदखल किये जाने के बदले, उसे या उन्हें, यथास्थिति उप-धारा (4) के अधीन संदेय नगरीय निर्धारण की राशि और प्रीमियम के अतिरिक्त, शास्ति के रूप में ऐसे जुर्माने का, जो विहित किया जाये, राज्य सरकार को संदाय कर देने पर, ऐसे भूमि को मिले रहने और कृषि से भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करने के लिये अनुज्ञात कर सकेगी।

(6) जहां इस धारा के अधीन अनुज्ञा किसी नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के संबंध में चाही गयी हो, वहां अनुज्ञा केवल तब ही प्रदान की जायेगी जब वांछित गैर-कृषिक प्रयोजन उस क्षेत्र में लागू विधि के अनुसार अनुज्ञेय हो और उस क्षेत्र में प्रवृत्त मास्टर योजना या किसी अन्य विकास योजना या स्कीम, उसका जो कोई भी नाम हो, यदि कोई हो, के अनुरूप हो।

(7) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, जब किसी नगरीय क्षेत्र में स्थित किसी भूमि के संबंध में इस धारा के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने वाला कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसे आदेश की तारीख को और से,-

- (क) ऐसी भूमि पर, उस व्यक्ति के, जिसे इस धारा के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गयी है, अभिधृति अधिकार निर्वापित हो जायेंगे; और
- (ख) वह भूमि धारा 102-क के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखी गयी समझी जायेगी और स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि के अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों या उप-विधियों के अनुसार किसी भी अनुज्ञेय गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी को उप-धारा (4) के अधीन उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों के संदाय के अध्यक्षीन रहते हुए, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को, जिसको इस धारा के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गयी है या ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारियों, समनुदेशितियों या अन्तरितियों को आबंटन के लिए उपलब्ध होगी।

(8) इस अधिनियम और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि किसी नगरीय क्षेत्र में या किसी नगरीय क्षेत्र की नगरयोग्य सीमाओं या उपांत पट्टी में, कृषि प्रयोजनों के लिए कोई भूमि धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने 17 जून, 1999 के पूर्व ऐसी भूमि या उसके भाग का गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग

किया है या उपयोग किये जाने के लिए अनुज्ञात किया है या वह ऐसी भूमि या उसके भाग के तात्पर्यित गैर-कृषिक उपयोग के लिए विक्रय या विक्रय के करार के रूप में और/या मुख्तारनामा और/या वसीयत निष्पादित करके या किसी भी अन्य रीति से प्रतिफल के लिए कब्जे से अलग हो गया है, वहां उक्त भूमि या जोत या, यथास्थिति, उसके भाग में के ऐसे व्यक्ति के अधिकार और हित पर्यवसित किये जाने के दायी होंगे और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् और ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् ऐसी भूमि में ऐसे व्यक्ति के अधिकारों और हित के पर्यवसान का आदेश देगा और तदुपरान्त उक्त भूमि समस्त भारगस्तताओं से मुक्त रूप में, राज्य सरकार में निहित हो जायेगी और धारा 102-क के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखी गयी समझी जायेगी और स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि के अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों या उप-विधियों के अनुसार, किसी अनुज्ञेय गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि या, यथास्थिति, उसके भाग पर कब्जा रखने वाले व्यक्तियों को किसी आवासन सहकारी सोसाइटी द्वारा किये गये आबंटन या दिये गये पट्टे के आधार पर या उनको, या तो उस व्यक्ति द्वारा, जिसके अधिकार और हित इस उप-धारा के अधीन पर्यवसित किये जाने के आदेश दिये जा चुके हों, या ऐसे व्यक्ति के माध्यम से दावा करने वाले किसी

अन्य व्यक्ति द्वारा विक्रय या विक्रय के करार या मुख्तारनामे या वसीयत या भूमि के अंतरण के लिए तात्पर्यित किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर, उप-धारा (4) के अधीन उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों के स्थानीय प्राधिकारी को संदाय के अध्यक्षीन रहते हुए, आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी:

परन्तु -

- (i) इस उप-धारा की कोई भी बात देवता, देवस्थान विभाग, किसी लोक न्यास या किसी धार्मिक या पूर्त संस्था या वक्फ की किसी भी भूमि पर लागू नहीं होगी:
- (ii) इस धारा के अधीन कोई भी कार्यवाहियां या आदेश ऐसी भूमियों के संबंध में आरम्भ नहीं की जायेंगी या नहीं किये जायेंगे जिनके लिए नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम सं.33), राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम सं.11) और राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की सम्पदाओं का अर्जन अधिनियम, 1963

(1964 का अधिनियम सं.11) के उपबंधों के अधीन कार्यवाहियां लंबित हैं।

(9) इस धारा के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये कलक्टर की रैंक से अनिम्न पंक्ति के ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो यावत्साध्य, ऐसी अपील का, उसके प्रस्तुत किये जाने की तारीख से साठ दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर निपटारा करेगा और यदि वह पूर्वोक्त कालावधि के भीतर-भीतर उस अपील का निपटारा करने में असमर्थ हो तो वह उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा। इस उप-धारा के अधीन पारित किया गया आदेश अंतिम होगा।

**स्पष्टीकरण.-** इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "स्थानीय प्राधिकारी" से, किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में, उस क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए गठित या पदाभिहित या उसके कार्य के लिए न्यस्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है और इसमें राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) के अधीन गठित कोई नगर सुधार न्यास, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982

का अधिनियम सं. 25) के अधीन गठित जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) के अधीन गठित जोधपुर विकास प्राधिकरण या राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) के अधीन गठित कोई नगरपालिका सम्मिलित है;

(ख) "नगरीय क्षेत्र" से, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) की धारा 2 के खण्ड (8) में यथा परिभाषित जयपुर क्षेत्र, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) की धारा 2 के खण्ड (8) में यथा परिभाषित जोधपुर क्षेत्र, या राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 2 के खण्ड (xxxix) में यथा परिभाषित कोई नगरपालिक क्षेत्र या राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) की धारा 3 के अधीन जारी किसी अधिसूचना में इस रूप में विनिर्दिष्ट कोई क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र, जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के

अधीन कोई स्थानीय प्राधिकारी गठित या पदाभिहित किया गया हो, के अन्तर्गत आने वाला कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

- (ग) "नगरयोग्य सीमाओं" से, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन तैयार की गयी किसी शहर या नगर की मास्टर योजना या मास्टर विकास योजना में उपदर्शित नगरीय सीमाएं और जहां कोई मास्टर योजना या मास्टर विकास योजना नहीं है, वहां उस नगरपालिक क्षेत्र की बाहरी सीमाएं अभिप्रेत हैं;
- (घ) "उपांत पट्टी" से, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन तैयार की गयी किसी शहर या नगर की मास्टर योजना या मास्टर विकास योजना में उपदर्शित उपांत पट्टी और जहां कोई मास्टर योजना या मास्टर विकास योजना नहीं है या जहां ऐसी योजना में उपांत पट्टी उपदर्शित नहीं की गयी है, वहां ऐसा क्षेत्र, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, अभिप्रेत है।"।

XX

XX

XX

XX

XX

XX

**(Authorised English Translation)**Bill No. 21 of 2014**THE RAJASTHAN LAND LAWS (AMENDMENT) BILL,  
2014****(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)***A**Bill*

*further to amend the Rajasthan Tenancy Act, 1955 and the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

**CHAPTER I*****Preliminary***

**1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Land Laws (Amendment) Act, 2014.

(2) It shall come into force at once.

**CHAPTER II*****Amendment in the Rajasthan Tenancy Act, 1955***

**2. Amendment of section 45, Rajasthan Act No. 3 of 1955.-** In sub-section (1) of section 45 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955), after the existing proviso, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided further that for the purposes prescribed by the State Government under sub-section (5A) of section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), a holder of Khudkast or a land owner may let or a Khatedar tenant may sub-let whole or any part of his holding for a term upto thirty years and may extent such lease or sub-lease for a further period of ten years."

*Amendment in the Rajasthan Land Revenue Act, 1956*

**3. Amendment of section 90-A, Rajasthan Act No. 15 of 1956.-** In section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), after the existing sub-section (5) and before the existing sub-section (6), the following new sub-section shall be inserted, namely :-

"(5A) Notwithstanding anything contained in any other provision of this section, the agricultural land may be used without permission for such non-agricultural purposes as may be prescribed by the State Government."

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

The State of Rajasthan receives maximum solar radiation intensity in India with low average rainfall. It also has unutilized low cost desert land available in abundance. Therefore, Rajasthan is likely to emerge as the global hub for solar and wind power in the country.

At present under existing provisions in section 45 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955, a holder of Khudkasht or a land owner may let or a Khatedar tenant may sub-let whole or any part of his holding not more than five years. To permit it to lease out their holding to power producers it is propose to amend section 45 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955. Accordingly after the existing proviso to sub-section (1) to section 45 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955, a new proviso is proposed to be added to enable a holder of Khudkasht or a land owner to let or a Khatedar tenant to sub-let whole or any part of his holding for a term of up to thirty years which may be extended for a further period of ten years.

At present section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 restricts the use of agricultural land for non-agricultural purposes except with the written permission of the State Government. It is proposed to enable the State Government to prescribe the purposes to which agricultural land may be used for non-agricultural purposes without permission. Accordingly in section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956, a new sub-section (5A) is proposed to be inserted.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

वसुंधरा राजे,  
**Minister Incharge.**

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED  
LEGISLATION**

Clause 3 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to prescribe the non-agriculture purposes for which agricultural land may be used without permission.

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

वसुंधरा राजे,  
**Minister Incharge.**

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN  
TENANCY ACT, 1955 (Act No. 2 of 1955)**

**XX      XX      XX      XX      XX      XX**

**45. Restrictions on letting and sub-letting.-** (1) No holder of Khudkasht or a land owner shall let and no Khatedar tenant or his mortgagee shall sub-let the whole or any part of his holding at any one time for a term exceeding five years:

Provided that for the purpose of agricultural operations in connection with such agro-processing and agri-business enterprises as may be approved in the prescribed manner by the State Government or any authority appointed by it or for the purpose of plantation of Prosopis Juliflora or any other like plantation to be used for generation of electricity, a holder of Khudkasht or a land owner may let or a Khatedar tenant may sub-let whole or any part of his holding for a term of fifteen years and may extend such lease or sub-lease for a further period of fifteen years.

(2) Where a lease or sub-lease has once been granted or extended for any term under sub-section (1) no further lease or sub-lease, as the case may be, in respect of the same land shall be granted within two years of the expiry of the first mentioned lease or sub-lease.

(3) No Ghair Khatedar tenant shall sub-let the whole or any part of his holding for a term exceeding one year.

(4) No sub-tenant or tenant of Khudkasht shall sub-let the whole or any part of his holding except in circumstances mentioned in section 46.

**XX      XX      XX      XX      XX      XX**

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN  
LAND REVENUE ACT, 1956  
(Act No. 15 of 1956)**

**90-A. Use of agricultural land for non-agricultural purposes.-** (1) No person holding any land for the purpose of agriculture, and no transferee of such land or any part thereof, shall use the same or any part thereof, by the construction of buildings thereon or otherwise, for any other purpose except with the written

permission of the State Government obtained in the manner hereinafter laid down and otherwise than in accordance with the terms and conditions of such permission.

(2) Any such person desiring to use such land or any part thereof for any purpose other than that of agriculture shall apply for the requisite permission in prescribed manner and to the prescribed officer or authority and every such application shall contain the prescribed particulars.

(3) The State Government shall, after making or causing to be made due inquiry in the prescribed manner, either refuse the permission applied for or grant the same subject to the prescribed terms and conditions.

(4) When any such land or part thereof is permitted to be used for any purpose other than that of agriculture, the person to whom such permission is granted shall be liable to pay to the State Government in respect thereof-

- (a) an urban assessment levied at such rate and in accordance with such manner as may be laid down in rules to be made in this behalf by the State Government; or
- (b) such amount by way of premium as may be prescribed by the State Government; or
- (c) both.

(5) If any such land is so used-

- (a) without the written permission of the State Government being first obtained, or
- (b) otherwise than in accordance with the terms and conditions of such permission , or
- (c) after such permission having been refused under sub-section (3), or
- (d) without making any of the payments referred to in sub-section (4), the person originally holding the land as aforesaid for the purpose of agriculture as well as all subsequent transferees, if any, shall be deemed to be trespasser or trespassers , as the case may be, and shall be liable to ejection from such land in accordance with section 91 as if he or they had occupied or continued to occupy such land without lawful authority and to every such proceeding the provisions of section 212 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of

1955) shall apply as if such land were in danger for being wasted, damaged or alienated:

Provided that the State Government may, in lieu of having such person and the subsequent transferees so ejected from the land in question, allow him or them, as the case may be, to retain such land, use the same for any purpose other than that of agriculture on payment to the State Government, in addition to the urban assessment and premium payable under sub-section (4) of such fine by way of penalty as may be prescribed.

(6) Where permission under this section is sought with respect to a land situated in an urban area, the permission shall be granted only if the desired non-agricultural purpose is permissible in accordance with the law applicable in that area and is in consonance with the master plan or any other development plan or scheme, by whatever name called, in force, if any, in that area.

(7) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or any other law for the time being in force, when an order granting permission under this section is passed with respect to a land situated in an urban area, on and from the date of such order,-

- (a) tenancy rights over such land of the person to whom permission under this section is granted shall stand extinguished; and
- (b) the land shall be deemed to have been placed at the disposal of the local authority under section 102-A and shall be available for allotment to the person to whom permission is granted under this section, or to the successors, assignees or transferees of such person, by the local authority for any permissible non-agricultural purposes in accordance with the rules, regulations or bye-laws made under the law applicable to the local authority, subject to the payment to the local authority of urban assessment or premium or both leviable and recoverable under sub-section (4).

(8) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act and the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955) where before 17<sup>th</sup> June, 1999 any person, holding any land for agricultural purposes in an urban area or within the urbanisable limits or peripheral belt of an urban area, has used or has allowed

to be used such land or part thereof for non-agricultural purposes or, has parted with possession of such land or part thereof for consideration by way of sale or agreement to sell and/ or by executing power of attorney and/or Will or in any other manner for purported non-agricultural use, the rights and interest of such person in the said land or holding or part thereof, as the case may be, shall be liable to be terminated and the officer authorized by the State Government in this behalf, shall, after affording an opportunity of being heard to such person and recording reasons in writing for doing so, order for termination of his rights and interest in such land and thereupon the land shall vest in the State Government free from all encumbrances and be deemed to have been placed at the disposal of the local authority under section 102-A and shall be available for allotment or regularization by the local authority for any permissible non-agricultural purposes in accordance with the rules, regulations or bye-laws made under the law applicable to the local authority to the persons having possession over such land or part thereof, as the case may be, on the basis of allotment made, or Patta given, by a Housing Co-operative Society or on the basis of any document of sale or agreement to sell or power of attorney or a Will or any other document purporting transfer of land to them either by the person whose rights and interests have been ordered to be terminated under this sub-section or by any other person claiming through such person, subject to the payment to the local authority of urban assessment or premium or both leviable and recoverable under sub-section (4):

Provided that-

- (i) nothing in this sub-section shall apply to any land belonging to deity, Devasthan Department, any public trust or any religious or charitable institution or a wakf;
- (ii) no proceedings or orders under this sub-section shall be initiated or made in respect of lands for which proceedings under the provisions of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (Central Act No. 33 of 1976), the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 (Act No. 11 of 1973) and the Rajasthan Land Reforms and Acquisition of Land Owners Estate Act, 1963 (Act No. 11 of 1964) are pending.

(9) Any person aggrieved by an order of an officer or authority made under this section may appeal within thirty days from the date of such order to such officer not below the rank of Collector as may be authorized by the State Government in this behalf, who shall, as far as practicable, disposed of such appeal within a period of sixty days from the date of its presentation and if he is unable to dispose of the appeal within the aforesaid period, he shall record reasons therefor. An order passed under this subsection shall be final.

**Explanation.-** For the purposes of this section,-

- (a) “local authority”, in relation to a local area, means an authority constituted or designated for, or entrusted with the function of, planned development of that area and includes an Urban Improvement Trust constituted under the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959), the Jaipur Development Authority constituted under the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), the Jodhpur Development Authority constituted under the Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009) or a Municipality constituted under the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009);
- (b) “urban area” means an area falling within Jaipur region as defined in clause (8) of section 2 of the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), Jodhpur region as defined in clause (8) of section 2 of the Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009) or a municipal area as defined in clause (xxxix) of section 2 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009) or an area specified as such in a notification issued under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959) or an area for which a local authority is constituted or designated under any law for the time being in force;
- (c) “urbanisable limits” means the urbanisable limits indicated in the master plan or master

development plan of a city or town prepared under any law for the time being in force and where there is no master plan or master development plan, the outer limits of the municipal area;

- (d) “peripheral belt” means the peripheral belt indicated in the master plan or master development plan of a city or town prepared under any law for the time being in force and where there is no master plan or master development plan or where peripheral belt is not indicated in such plan, the area as may be notified by the State Government from time to time.

**XX**

**XX**

**XX**

**XX**

**XX**

**XX**

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 और राजस्थान भू-राजस्व  
अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधयेक।

---

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

---

पृथ्वीराज,  
विशिष्ट सचिव।

(वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 21 of 2014

**THE RAJASTHAN LAND LAWS (AMENDMENT) BILL,  
2014**

**(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)**

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

---

*A*

*Bill*

*further to amend the Rajasthan Tenancy Act, 1955 and the  
Rajasthan Land Revenue Act, 1956.*

---

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRITHVI RAJ,  
**Special Secretary.**

(Vasundhara Raje, **Minister-Incharge**)